निर्णय ब-इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 04 / 2025 (धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये इन्द्रपाल मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय।

प्रार्थी

बनाम

श्री गोपाल कुमावत पुत्र श्री चौथमल कुमावत जरिये श्री गणेश मोटर्स, रींगस रोड, हाडोता, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 16 घरेलू गैस सिलेण्डर (15 एच.पी.सी.एल. एवं 01 बी.पी.सी.एल.) मय एल.पी.जी. 125.900 किलोग्राम, एक विद्युत मोटर को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :–

1. पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
2. श्री सुनील शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी की ओर से।

## निर्णय

दिनांक 08.09.2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय से प्राप्त निर्देश की पालना में घरेलू गैस सिलण्डरों से अवैध रूप से भण्डारण की सूचना प्राप्त होने पर बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के साथ दिनांक 06.07.2022 को श्री गणेश मोटर्स, रींगस रोड, ग्राम हाडोता, तहसील चौमू, जिला जयपुर की जांच की गई। परिसर की जांच करने पर 16 घरेलू गैस सिलेण्डर (15 एच.पी.सी.एल. एवं 01 बी.पी.सी.एल.) एवं रॉकेट ब्राण्ड की इलेक्ट्रिक मोटर रखी पाई गई। जिनको राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर, एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर्स की एल.पी.जी. ज्वलनशील विस्फोटक एव जनहित की वस्तु होने से धारा–6–ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिनांक 18.07.2022 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कराया जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवायें। नोटिस अप्रार्थी को जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री सुनील शर्मा ने उपस्थित हुये। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस हेतु नियत दिनांक को अप्रार्थी अभिभाषक उपस्थित नहीं होने पर प्रकरण में बहस पैरोकार रसद सुनी गई।
3. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि श्री गणेश मोटर्स, रींगस रोड, ग्राम हाडोता, तहसील चौमू, जिला जयपुर की जांच अप्रार्थी श्री गोपाल कुमावत की उपस्थिति में की गई। परीसर की जांच करने पर 16 घरेलू गैस सिलेण्डर (15 एच.पी.सी.एल. एवं 01 बी.पी.सी.एल.) एवं रॉकेट ब्राण्ड की इलेक्ट्रिक मोटर रखी पाई गई। अप्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि दुकान में रखे गैस सिलेण्डर्स से विद्युत मोटर की सहायता से एल.पी.जी. को वाहनो में भरने का कार्य किया जाता है। मौके पर मैसर्स शिव गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री लालचंद जाट को बुलाकर घरेलू गैस सिलेण्डर्स का तौल करवाया गया।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

तौल कराने पर गैस सिलेण्डर्स में कुल 125.900 किलोग्राम एल.पी.जी. पाई गई। मौके पर अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों के क्रय, विक्रय, भण्डारण, बेचान व वाहनो में गैस भरने के न तो कोई वैद्य दस्तावेज पेश किये गये और न ही अवैध भण्डारण के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा सामग्री को राजसात (Confiscate) करने के आदेश फरमावे।

4. विभागीय पैराकार रसद को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती का भंलीभांती अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

5. प्रार्थी द्वारा जब्त किये गये सिलेण्डर्स के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गयें। दौराने जांच मौके पर 16 घरेलू गैस सिलेण्डर (15 एच.पी.सी.एल. एवं 01 बी.पी.सी.एल.) मय एल.पी.जी. 125.900 किलोग्राम एवं एक विद्युत मोटर पाये गये। घरेलू एल.पी.जी. कम कीमत पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है, जिसका व्यावसायिक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर्स से अवैध रूप से वाहनो में एल.पी.जी. स्थानान्तरित कर व्यावसायिक उपयोग में लिया जा रहा था। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थी की अवैध मुनाफा की आपराधिक मनःस्थिति एवं बदनियती स्पष्ट जाहिर होती है। इसलिए जब्त सिलेण्डर्स मय एल.पी.जी. को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के कब्जे से जब्त 16 घरेलू गैस सिलेण्डर (15 एच.पी.सी.एल. एवं 01 बी.पी.सी.एल.) मय एल.पी.जी. 125.900 किलोग्राम एवं एक विद्युत मोटर को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते है।

7. जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में दिनांक 18.07.2022 को अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश दिये गये है। तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष जमा कराना सुनिश्चित करें।

8. निर्णय प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 08.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner